कार्यालय
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
सी .आर .बिल्डिंग, आई .पी .एस्टेट, नई दिल्ली-110002

एफ. नं. अपर आयकर आयुक्त (मुख्यालय)(समन्वय)/लागत लेखा/2023-24/ **दिनांक: 15.01.2024**

आवेदन हेतु अधिसूचना

आयकर विभाग, दिल्ली परिक्षेत्र, आयकर अधिनियम,1961 के अनुभाग 142 के उप-अनुभाग 2ए के खण्ड (ii) के तहत इंवेंटरी वैल्यूएशन (मूल्यांकन) करने के उद्देश्य से पैनल में शामिल होने के लिए लागत लेखाकार संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी से आवेदन आमंत्रित करता है। यह पैनल 01.04.2024 से 31.03.2027 तक प्रभावी रहेगा ।

2. उपरोक्त पैनल में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित मानदंड इस प्रकार है-

क. लागत लेखाकार संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी को-

i. लागत लेखा और लागत लेखा परीक्षा के पेशे/वृति में होना चाहिए, जिसमें 31.3.2023 तक कम से कम 3 (लागत लेखाकारों के अलावा) कर्मचारियों की संख्या होनी चाहिए, और कम से कम 2 लागत लेखाकार कम से कम पिछले एक वर्ष से लगातार काम कर रहे हों (साझेदार/मालिक सहित)।

ii. कम से कम एक कार्यालय दिल्ली क्षेत्र में स्थित होना चाहिए।

iii. 31.3.2023 को न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि का लागत लेखा/लागत लेखापरीक्षा/आंतरिक लेखापरीक्षा/दिवालिया का पेशेवर/वृतिक अनुभव होना चाहिए।

iv. पिछले 5 वित्तीय वर्षों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक) में से कम से कम 2 वित्तीय वर्षों में 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के टर्नओवर वाली कम से कम एक व्यावसायिक इकाई के लागत रिकॉर्ड का ऑडिट किया होना चाहिए।

v. निर्धारण वर्ष 2023-24(वित्त वर्ष 2022-23) तक नियमित रूप से आय का रिटर्न दाखिल करना चाहिए और लागत परामर्श/लागत ऑडिट/आंतरिक ऑडिट/अकाउंटेंसी जैसी पेशेवर सेवाओं से आवेदक की सकल पेशेवर/वृतिक प्राप्तियां पिछले 5 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में पंद्रह लाख या अधिक (अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक) होना चाहिए ।

vi. किसी भी पेशेवर/वृतिक कदाचार में सम्मिलित होने का आरोप नहीं लगा होना चाहिए और आयकर विभाग द्वारा किसी भी अनियमितता के लिए वर्क & कॉस्ट अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 21 के अंतर्गत कोई शिकायत दर्ज नहीं होनी चाहिए।

ख.

i. आवेदक के विरुद्ध आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXII के तहत अथवा किसी अन्य विधि/संहिता के तहत कोई अभियोजन लंबित नहीं होना चाहिए।

ii. लागत लेखाकार संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी को आवेदन की तिथि तक कर चोरी या अन्य किसी आपराधिक कार्यवाही के लिए किसी प्रकार की जाँच /पूछताछ का सामना नहीं करना चाहिए ।

3. इस कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की जांच एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की जाएगी और लागत लेखाकार संस्थाओं/फर्मों/एलएलपी के पैनल के संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

4. लागत लेखाकार संस्था/फर्म/एलएलपी दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपने आवेदन (नोटरीकृत हलफनामे के साथ विधिवत प्रमाणित) कार्यालय आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) (समन्वय-1), नई दिल्ली कमरा नंबर 361, तीसरी मंजिल, केंद्रीय राजस्व भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002 या ई-मेल आईडी- delhi.dcit.hq.coord1@incometax.gov.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी सहायक दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपस्थिति में आवेदनों को पैनल में सम्मिलित करने पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र वेबसाइट- **incometaxdelhi.org** से डाउनलोड किया जा सकता है।

5. इन्वेंटरी वैल्यूएशन (मूल्यांकन) के लिए पारिश्रमिक आयकर नियम 1962 के नियम 14बी के अंतर्गत देय होगा।

6. आवेदक इस विज्ञापन के जारी होने के दो सप्ताह के अंदर आवेदन कर सकते हैं।

(रोबिन कुमार)
सहा. आयकर आयुक्त (मुख्यालय) (समन्वय -1), दिल्ली
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीए), दिल्ली